



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 9, 2018 (PAUSA 19, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 जनवरी, 2018

संख्या 07/एस०टी०-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, तथा प्रथम जुलाई, 2017 से संशोधित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में,-

- (i) प्रस्तावना में, "धारा 11 की उपधारा (11) "शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 11 की उपधारा (1)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) सारणी में,-
 - (अ) क्रम संख्या 17 के सामने, खाना (3) में, मद (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(iii) नकदी आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी प्रयोजन हेतु किन्हीं मालों के उपयोग के अधिकार का अंतरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए है या नहीं)”;
 - (आ) क्रम संख्या 24 के सामने, खाना (3) में, व्याख्या में,-

- (क) मद (i) में, "पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालनपोषण – पोषण से – के सिवाय पालन संबंधित सेवाएं—" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "पौधों की खेती और अश्वों के पालन-पोषण को छोड़कर पशुओं के सभी जीवन रूपों के पालन-पोषण से सम्बन्धित सेवाएं—" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) मद (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 "(iii) खाद्य, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य समरूप उत्पाद या कृषि उत्पादों के लिए पौधों की खेती और अश्वों के पालन-पोषण को छोड़कर पशुओं के सभी जीवन रूपों के पालन-पोषण के सम्बन्ध में जोब कार्य के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना।";
- (इ) क्रम संख्या 29 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 "समुदाय को पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाया गया लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाएं।";
- (ई) सारणी के अंत में, क्रम संख्या 4 में, व्याख्या में, मद (7) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 "(7) "कृषि उत्पाद" से अभिप्राय है, खाद्य, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या कोई अन्य समरूप उत्पादों के लिए पौधों की खेती और अश्वों के पालन-पोषण को छोड़कर पशुओं के सभी जीवन रूपों के पालन-पोषण में से कोई उत्पाद, जिन पर या तो आगे कोई भी प्रसंस्करण नहीं किया जाता है या ऐसा प्रसंस्करण प्रायः उपजाने वाले द्वारा या उत्पादक द्वारा किया जाता है जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं में बदलाव नहीं करता है किन्तु उसे प्राथमिक बाजार में विपणनयोग्य बनाता है।";

संजीव कौशल,
 अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
 आबकारी तथा कराधान विभाग।